अध्याय 5
माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति का स्थान

धारा 10 : भारत में आयातित या भारत से निर्यातित माल की पूर्ति से भिन्न माल की पूर्ति का स्थान

(1) भारत में आयातित या भारत से निर्यातित माल की पूर्ति से भिन्न माल की पूर्ति का स्थान निम्नलिखित रूप में होगा :–

(क) जहां पूर्ति में माल का संचलन अंतर्वलित है, चाहे वह पूर्तिकार द्वारा या प्राप्तिकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हो, ऐसे माल की पूर्ति का स्थान उस समय माल का अवस्थान होगा, जब माल का संचलन, प्राप्तिकर्ता को परिदान के लिए समाप्त होता है;

(ख) जहां माल का परिदान, पूर्तिकार द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को किसी तीसरे व्यक्ति के निर्देश पर, चाहे वह अभिकर्ता के रूप में या अन्यथा कार्य कर रहा हो, माल के संचलन से पहले या उसके दौरान या तो माल के हक के दस्तावेज के अंतरण के रूप में या अन्यथा किया जाता है, वहां यह समझा जाएगा कि उक्त तीसरे व्यक्ति ने माल प्राप्त किया है और ऐसे माल की पूर्ति का स्थान ऐसे व्यक्ति के कारबार का मूल स्थान होगा;

(ग) जहां पूर्ति में माल का संचलन अंतवर्लित नहीं है, चाहे वह पूर्तिकार द्वारा हो या प्राप्तिकर्ता द्वारा, वहां पूर्ति का स्थान प्राप्तिकर्ता को परिदान के समय ऐसे माल का अवस्थान होगा;

[1][**(गक)** जब माल की पूर्ति रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को की जाती है, पूर्ति का स्थान खंड (क) या खंड (ग) में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी जारी बीजक में उक्त व्यक्ति का पता अभिलिखित ना हाने पर पूर्तिकार की अवस्थिती पूर्ति का स्थान होगी।

स्पष्टीकरण : इस खंड के प्रयोजनों के लिए, बीजक में उक्त व्यक्ति के राज्य के नाम के अभिलेखन को उक्त व्यक्ति के पते के अभिलेखन समझा जाएगा;]

(घ) जहां माल का समंजन या संस्थापन किसी स्थल पर किया जाता है, वहां पूर्ति का स्थान ऐसे संस्थापन या समंजन का स्थान होगा;

(ड.) जहां माल की पूर्ति किसी वाहन के फलक पर की जाती है, जिसके अंतर्गत कोई जलयान, कोई वायुयान, कोई ट्रेन या कोई मोटरयान भी है, वहां पूर्ति का स्थान वह अवस्थान होगा, जिस पर ऐसा माल फलक पर लिया जाता है।

(2) जहां माल की पूर्ति के स्थान का अवधारण नहीं किया जा सकता, वहां पूर्ति का स्थान ऐसी रीति में अवधारित किया जाएगा, जो विहित की जाए।

---

[1] एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 द्वारा खंड (गक) अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2023–एकीकृत कर, दिनांक 29.09.2023 द्वारा इसको दिनांक 01.10.2023 से प्रभावशील किया गया।